न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/2394/2005/नागौर

डोली मंदिर श्री नृसिंहजी महाराज वाके ग्राम ईडवा तहसील डेगाना जिला नागौर द्वारा पुजारीगणः–

1. हरीदास
2. सागरमल

–समस्त पुत्रगण नारायणदास जाति साद निवासीगण ग्राम ईडवा तहसील डेगाना जिला नागौर

.....अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. मु0 भंवरी बेवा हिम्मताराम
2. गोपालराम पुत्र हिम्मताराम नाबालिग जरिये वली माता मु. भंवरी

–समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मोडरिया तहसील डेगाना जिला नागौर

....रेस्पोन्डेन्ट्स/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण।
श्री मदन लाल गूर्जर, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स ।

निर्णय

दिनांकः– 30–09–2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील सं. 110/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–02–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर डेगाना के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88 व 183 के तहत वाके ग्राम ईडवा स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 339 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद/वादी को खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने दावे, जवाबदावे के आधार पर वाद में अनुतोष सहित 8 विवाद्यक किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर अलग-अलग विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 16-05-2003 पारित करते हुए वादीगण के वाद को स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 22-02-2005 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-05-2003 को निरस्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-02-2005 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित रकबा जमाबंदी सम्वत 2011 सें 2014 में मंदिर श्री नृसिंहजी महाराज की खातेदारी में दर्ज है, इस कारण कानूनन मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। आगे बताया कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, जिसकी खातेदारी की भूमि पर किसी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। उनका आगे कहना है कि आराजी मंदिर मूर्ति की खातेदारी की रही है जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी की आज्ञा/आदेश के रेकार्ड में गलत आधार पर रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज कर

दी। उनका तर्क है कि रेस्पोडेन्ट आराजी के अतिक्रमी है जिनको कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा जो बयनामा मंदिर मूर्ति की भूमि के बाबत निष्पादित किया गया है, वह भी प्रभावशून्य है। क्योंकि मंदिर मूर्ति की भूमि का विक्रय किया जाना गैरकानूनी है। उनका आगे तर्क है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय यदि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से असहमत था तो उन्हें अपना आक्षेपित निर्णय विवाद्यकवार पारित करना चाहिए था। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। आगे बताया कि जब तक प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा निर्मित तनकियों को अन्यथा सिद्ध नहीं कर दें, तब तक आक्षेपित निर्णय जो कि निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। इस कारण आक्षेपित निर्णय आदेश 5 नियम 20 सीपीसी के प्रावधित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 22-02-2005 को अपास्त करते हुए सहायक जिला कलक्टर डेगाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-05-2003 एवं वादीगण के वाद को डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण ने बहस में कहा कि आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उनका कहना है कि रेकार्ड के अनुसार सूरजकरण डोलीदार के रूप में दर्ज है तथा वादीगण द्वारा सूरजकरण को पक्षकार प्रतिस्थापित नहीं किया है। उनका आगे कहना है कि सम्वत 2012 व इससे पूर्व के रेकार्ड में रकबा मंदिर के नाम दर्ज नहीं रहा है। आगे बताया कि उन्होंने विवादित रकबे को क्रय किए जाने के कारण वह आराजी के सद्भावी क्रेता है। उनका तर्क है कि सम्वत 2015-2018 की जमाबंदी में गलती से आराजी मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई थी, जो जानकारी के बाद रेकार्ड में दुरूस्ती कर दी गई है।

उनका तर्क है कि विवादित आराजी मंदिर की नहीं होने के कारण वादीगण को वाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं थी। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में मामले में आक्षेपित निर्णय विधिनुकूल होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अपास्त कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादीगण के वाद में विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर डेगाना ने अनुतोष सहित 8 विवाद्यक कायम किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं होकर आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए खारिज किया है। अर्थात हस्तगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय वादीगण के वाद में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत नहीं था तो अपीलीय न्यायालय को कायम किए गए विवाद्यकों को अन्यथा सिद्ध करते हुए अपना निर्णय विवाद्यकवार पारित करना चाहिए था। परन्तु हस्तगत मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं किया है। अतः आक्षेपित निर्णय प्रथम दृष्टया व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण घोषित होना पाया जाता है।

8. उपलब्ध रेकार्ड का विधायिका की मंशा के अनुसार परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि विवादित रकबा डोली मंदिर श्री चारभुजा के नाम जरिये पुजारी हनुमानगदास पुत्र बद्रीदास 1/2 तथा बद्रीदास पुत्र हरिदास

1/2 दर्ज थी। यह भूमि उक्त पुजारियों की खातेदारी में ग्राम पंचायत द्वारा धारा 13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नामान्तरकरण दर्ज कर खातेदारी प्रदान कर दी गई है। उक्त कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन की श्रेणी में मानी जाएगी। यहीं नहीं रेकार्ड से यह भी पाया जाता है कि उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही को राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में अपास्त कर दिया गया था। मूल वाद में प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं किया गया कि विवादित रकबा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर अधिग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई हो तथा उसके बाद आराजी मंदिर मूर्ति श्रीनृसिंहजी महाराज की खातेदारी से अन्य व्यक्तियों, जिनसे प्रतिवादीगण द्वारा क्रय किया गया है, की खातेदारी में दर्ज कर दी गई हो। जमाबंदी सम्वत 2015–2018 प्रदर्श–1 के अनुसार खसरा संख्या 339 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा डोली बनाम श्रीमंदिर नृसिंहजी वाके देह बहतमाम पुजारी सुरजकरण पुत्र गंगाराम 1/2, मांगीया, नारायण, मोहनिया, राधाकिशन पिसरान रामपाल 1/4 गणेश पुत्र परसाराम 1/4 कौम साद साकिन देह भू धारक के नाम दर्ज थी। सारांशतः सम्वत 2012–2015 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद भी आराजी भू धारक डोली बनाम मंदिर श्रीनृसिंहजी के खुदकाश्त में दर्ज थी। उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्वत 2012 अर्थात काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि को भूमि मंदिर श्रीनृसिंहजी के पक्ष में आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधिनुसार था। ऐसी स्थिति में विवादित रकबे के 1/2 हिस्से का जो आलोच्य नामान्तरकरण भंवरलाल पुत्र गुलाबचंद जयचंद पुत्र भंवरलाल के पक्ष में तस्दीक किया गया था, वह विधि विरूद्ध था। क्योंकि मंदिर मूर्ति की भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम अन्तरण नहीं हो सकती है। यहीं नहीं मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण उसकी भूमि का बेचान होने पर नामान्तरकरण दिनांक 01–08–1968 व 1180 जो कि हिम्मताराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम स्वीकृत किया जाना प्रावधिक प्रावधानों के विपरीत घोषित किया जाता है।

9. अतः माफी मंदिर की भूमि का हस्तान्तरण बिना किसी सक्षम आदेश के हुआ है जो अवैधानिक है, क्योंकि माफी मंदिर श्रीनृसिंहजी

महाराज को शाश्वत नाबालिग माना गया है और इसकी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है।

–1984 आरआरडी पेज 01 में निम्न तीन बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय दिया हैः–

> (a) Idol- Minor- R.T.Act, Secs. 5(25) Proviso & 46 (1)(e)- Whether a deity is a minor for purpose of Sec. 46 and Proviso to Sec. 5 (25) or suffers from any mental or physical disability u/s 5(25) or incapable of cultivating land u/s 46 (1)(e)- Held deity is a minor for purpose of Sec 46(1)(a) and proviso to Sec. 5(25)- Question of infirmity and disabilities, not considered necessary to be examined since all minor enjoy protection u/s 46(1) (a).
>
> (b) Raj. Tenancy Act. Ss. 46(1) & 16 (vi) - Whether khatedari rights can at all accrue in lands held for public purpose and lands of deities can be considered to be held for public purpose- Held, properties endowed for an idol, essentially for public purpose and/ or public utility unless temple, essentially private- AIR 1957 SC 133, followed- Hence khatedari rights cannot accrue in such lands.
>
> (c) Raj. Tenancy Act, Sec. 5 (25) Land cultivated personally- Lands in muafi of deity, cultivated by a person, not being a pujari or manager, not a member of their family, nor a hired labour or servant- Held such land, included in definition of 'land cultivated personally' in sec 5(25).

इसके अतिरिक्त 1994 आरआरडी पेज 01 रामप्रताप व अन्य बनाम राजस्व मण्डल में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रतिपादित किया है किः–

"(B) **Rajsthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act-** (a) Section 2(i) and sub-section (23) of Section 5 of the Rajasthan Tenancy Act- When there was no provision in the law or in the proforma for preparation of the land records for the entry of the word 'khudkasht', the entry of merely the name of the khatedar in the column provided therefor (without the word 'khuddasht') did not detract from the 'khudkasht' naure of the tenure.

> (b) Section 2(k)- Land cultivated personally - It is settled law that an idol is a perpetual minor and, therefore, it is not expected to cultivate the land personally and in such a case, the land shall be deemed to be cultivated personally even in the absence of such personal supervision."

10. प्रस्तुत मामले में न्यायिक दृष्टान्त 1984 आरआरडी पेज 01 एवं 1994 आरआरडी पेज 01 अवलोकनीय है, जिसमें प्रतिपादित किया गया

है कि मूर्ति सदैव नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि पर जिसके द्वारा भी काश्त की जाती है, वह मूर्ति द्वारा ही "Land cultivated personally" ही मानी जाएगी। राजस्व मण्डल की वृहद पीठ एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मंदिर मूर्ति की भूमि पर अगर कोई अन्य व्यक्ति काश्त करता है तो वह मंदिर मूर्ति के द्वारा ही काश्त किया जाना माना जाएगा। फलतः मूर्ति मंदिर उन अपवादित श्रेणियों में शामिल है जिन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (म) के अन्तर्गत परिणित होने के कारण भूमिधारक या कृषक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बतौर उपकृषक राहिन के रूप में कृषि कराने के लिए लगाये गये प्रतिबंध लागू नहीं होते है। वैसे भी नाबालिग के व्यापक हितों की सुरक्षा का दायित्व न्यायालय का है। यहीं नहीं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को मंदिर मूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है।

11. हस्तगत प्रकरण में माफी मंदिर मूर्ति की विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश/आज्ञा के अवैध रूप से खातेदार दर्ज कर दिया गया है, जिसे उपरोक्त वर्णित विभिन्न विधिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के मद्देनजर निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त विभिन्न माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में विवादित रकबे बाबत वादीगण के वाद को स्वीकार करने में सहायक जिला कलक्टर डेगाना ने किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। अतः सहायक जिला कलक्टर डेगाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-05-2003 विधि सम्मत पाया जाता है।

12. उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा पेश प्रथम अपील को अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड एवं विधायिका की भावना के विपरीत निष्कर्षित किया है तथा आक्षेपित निर्णय व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 के आज्ञापक प्रावधानों के भी विपरीत पारित किए जाने के कारण हम उसका समर्थन नहीं कर

सकते। सारांशतः आक्षेपित निर्णय नितान्त त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। अतः हमारी विनम्र राय में हस्तगत द्वितीय अपील में तथ्य व विधि के बिन्दुओं का समावेश होने के कारण इसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 22-02-2005 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी डेगाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-05-2003 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य